प्रथम सूचना रिपोर्ट

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला चौकी – भ्र0नि0 ब्यूरो,हनुमानगढ़ थाना– प्र0आ0के. भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष– 2022
प्र0सू0रि0 सं. 501/22 दिनांक 28/12/2022

2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारा 7
(2) अधिनियम .... धाराएं ....
(3) अधिनियम.. धाराएं....................................
(4) अन्य अधिनियम एवं ...... धाराएं....................................

3. (क) घटना का दिन–बृस्पतिवार दिनांक. 22.08.2022 से दिनांक............ पीएम........ तक
पहर...................... बजे से ....
(ख) थाने पर प्राप्त सूचना .... दिनांक– 22.08.2022 समय : 12.15 पीएम
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 563 समय 5:20pm

4. सूचना कैसे प्राप्त हुइ– स्वयं हाजिर होकर, लिखित/मौखिक– लिखित

5.घटना स्थल का ब्यौरा
(क) थाने से दिशा एवं दूरी– चौकी से पूर्व दिशा बफासला करीब 08 किलोमीटर
.... बीट संख्या..........
(ख) पता – ट्रोमा सेन्टर, महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस
थाने का नाम.. जिला ....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला)
(क) नाम– श्री रामकृष्ण गोदारा
(ख) पिता/पति का नाम– श्री बिरजुराम गोदारा
(ग) जन्म तिथि/उम्र 21 वर्ष (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय (ड़) पासपोर्ट संख्या....................................
जारी करने की तिथि.................................. जारी करने का स्थान....................................
(च) व्यवसाय– –
(छ) पता– निवासी वार्ड नं. 08, सरदारशहर जिला चूरू

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. श्री मनजीत कुमार पुत्र श्री बिहारीलाल उम्र–48 वर्ष निवासी वॉर्ड नंबर 6, नजदीक पुष्पा बर्फ फैक्ट्री, गोशाला के सामने, तारानगर, चूरू हाल निवासी वार्ड नंबर 28, स्वामी कॉलोनी, फतेहगढ़ रोड़ हनुमानगढ़ टाउन तत्कालीन ट्रोमा सेंटर इंचार्ज महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन हाल सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौरंगदेसर जिला हनुमानगढ़

8. सूचना देने में देरी का कारण..कोई नहीं

9. चोरी हुई सम्पति का विवरण :– आरोपित श्री मनजीत कुमार द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूप्योग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण करना एंव परिवादी से 15,000/– रूपये रिश्वत की मांग करना।

10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य–.................... वक्त सत्यापन राशि **15000/–की मांग करना।**

11. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु

सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्योरो हनुमानगढ़ विषय–रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथो पकडवाने हेतु महादेय निवेदन है कि मे रामकृष्ण गोदारा S/0 बिरजुराम गोदारा उम्र–21 साल जाति–जाट निवासी–सरदारशहर वार्ड नं.–8 जिला चूरू का निवासी हु मैं करूणा

कालेज नंवा में BSC Nursing 3 year का छात्र हूं वर्ष–2021 में राजकीय अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन में मेडिकल कार्य सिखने हेतु जाता रहा हू और जनवरी 2022 में मैने अस्पताल जाना छोड़ दिया था। दिनांक 20/8/2022 को मैं मेरे दोस्त की बहन का X-RAY करवाने में राजकीय अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन गया था। फिर हमने डाक्टर की पर्ची अनुसार X-RAY करवाने में ट्रौर्मा सेंटर गये थे। उसी दौरान वहा का एक कर्मचारी आदित्य आया और मुझे बोला कि आपको मनजीत सर बुला रहे है। उसी वक्त मे उसके साथ गया तो मनजीत सर ने मेरे पर आरोप लगाया कि जिस वक्त आप काम सिखने आते थे उस समय यहां से सरकारी सिरंजे के 20 डिब्बे उठाकर ले गये थे और मुझे मनजीत धमका कर वापिस भेज दिया और कुछ देर वाद मुझे बुलाकर कहा कि आपके विरूद्व पुलिस में कार्यवाही कराउगा तथा आपके कालेज से लिखित कार्यवाही कराउगा। फिर उसने मुझे धमकाते हुऐ कहा कि लिखित में लिखकर दो कि यह सिरंजों के डिब्बो को मैं उठाकर ले गया और आगे से ऐसा नही करूगा यह बात लिखवाकर मनजीत ने अपने पास रख ली। यह लिखकर देने पर उसने कहा मुझे कि आपको 15 हजार रूपये मुझे दे होगे अन्यथा मे आपके विरूद्ध पुलिस कार्यवाही करवाते हुऐ कालेज को आपके विरूद्ध कार्यवाही के लिए लिखुगा। श्रीमान जी मनजीत मुझ पर झुठे आरोप लगाकर और धमकाकर मेरे से झुठा लिखवाकर 15 हजार रूपये रिश्वत मांगी जा रही है। मे मनजीत को 15 हजार रूपये रिश्वत न देकर उसे रिश्वत लेते हुऐ रगे हाथो पकड़वाना चाहता हं मेरी उससे जाति दुश्मनी नही है। ना ही कोई लेन–देन बकाया है। कृपया कानूनी कार्यवाही करे। प्राथी एसडी–रामकृष्ण गोदारा S/0 बिरजुराम गोदारा निवासी–वार्ड नं. 8 सरदारशहर मोबाइल नं. 9549838015 दिनांक 22/8/22

कार्यवाही पुलिस

निवेदन है कि दिनांक 22.08.2022 को वक्त 12.15 पीएम पर परिवादी श्री रामकृष्ण गोदारा पुत्र बिरजुराम गोदारा निवासी वार्ड नं. 08 सरदारशहर जिला चुरू ने ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पर उपस्थित होकर श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो हनुमानगढ़ के नाम का प्रार्थना पत्र श्री सुभाषचन्द्र पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन किया गया, परिवादी श्री रामकृष्ण गोदारा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा लिखा जाना व उस पर अपने हस्ताक्षर करना अवगत करवाया। परिवादी श्री रामकृष्ण गोदारा द्वारा दरियाफ्त पर बताया कि मैं करूणा कॉलेज नंवा में बी.एस.सी. नर्सिंग III वर्ष का छात्र हूं वर्ष 2021 में राजकीय अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन में मेडिकल कार्य सीखने हेतु जाता रहा हूं और जनवरी 2022 में मैने अस्पताल जाना छोड़ दिया था दिनांक 20.08.2022 को मैं मेरे दोस्त की बहन का एक्स–रे करवाने राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन गया था, फिर हमने डाक्टर की पर्ची अनुसार एक्स–रे करवाने ट्रोर्मा सेंटर गये थे, उसी दौरान वहां का एक कर्मचारी आदित्य आया और मुझे बोला कि आपको मनजीत सर बुला रहे है, उसी वक्त मैं उसके साथ गया तो मनजीत सर ने मेरे पर आरोप लगाया कि जिस वक्त आप काम सीखने आते थे उस समय यहां से सरकारी सिरंजों के 20 डिब्बे उठाकर ले गये थे और मुझे मनजीत सर ने धमका कर वापिस भेज दिया और कुछ देर बाद मुझे बुलाकर कहा कि आपके विरूद्ध पुलिस में कार्यवाही कराउंगा तथा आपके कॉलेज से लिखित कार्यवाही कराउंगा, फिर उसने मुझे धमकाते हुए कहा कि लिखित में लिखकर दो कि यह सिरंजों के डिब्बो को मैं उठाकर ले गया और आगे से ऐसा नही करूगा यह बात लिखवाकर मनजीन ने अपने पास रख ली। यह लिखकर देने पर उसने मुझे कहा आपको 15 हजार रूपये मुझे देने होगें अन्यथा मै आपके विरूद्ध पुलिस कार्यवाही करवाते हुए कॉलेज को आपके विरूद्ध कार्यवाही के लिए लिखूगा, श्रीमान् जी मनजीत मुझ पर झुठे आरोप लगाकर और धमकाकर मेरे से झूठे आरोप लगाकर और धमकाकर मेरे से झूठा लिखवाकर 15 हजार रूपये रिश्वत मांगी जा रही है तथा भविष्य खराब करने की धमकी दी जा रही है, मैं मनजीत सर को 15 हजार रूपये रिश्वत न देकर उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं, मेरी उससे जाति दुश्मनी नहीं है तथा ना ही कोई लेन–देन बकाया है, परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पूछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। दिनांक:– 22.08.2022 समय:– 01.05 पीएम पर परिवादी श्री रामकृष्ण गोदारा को गोपनीय सत्यापन हेतु कहा गया तो उसने अपनी स्वीकृति दी जिस पर परिवादी को कार्यालय का डिजीटेल टेप रिकार्डर को चलाने व बंद करने की विधी समझाई गई तथा ब्युरो के श्री हसंराज हैड़कानि0 55 से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी श्री रामकृष्ण गोदारा व श्री हसंराज हैड़कानि0 को आवश्यक हिदायत कर वास्ते गोपनीय सत्यापन हेतु राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन की तरफ रवाना किया गया। समय:– 02.15 पीएम पर परिवादी श्री रामकृष्ण गोदारा व श्री हसंराज हैड़कानि0 गोपनीय सत्यापन हेतु गये हुए वापिस ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पर आये व ब्यूरो का डिजिटल वायॅस रिकार्ड बंद हालत में सुपुर्द किया, फिर परिवादी श्री रामकृष्ण गोदारा ने बताया कि मैं व हंसराज मेरे निजि मोटर साईकिल से रवाना होकर राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के नजदी पहुंचे जहां पर श्री हसंराज जी ने मुझे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर दे दिया श्री हसंराज जी वहीं पर रूक गये मै राजकीय चिकित्सालय

हनुमानगढ़ के ट्रोमा सेंटर में जाकर मनजीत जी से मिला तो उन्होने मेरे द्वारा लिखकर दिये गये कागज के संबंध में कहा की वो मै आपको वापिस नहीं दूंगा और ना ही उसका कोई मिस यूज करूगां आपको बता दिया ना कि इसके बदले आपको 15 हजार रूपये देने होगें तभी वहां पर पुलिस चौकी का कोई जवान अग्रेंज सिह आ गया जिसने मुझे कहा की आप यहां से चले जाओ फिर मैं वहां से वापिस आकर हंसराज को साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय में आ गया, फिर हंसराज हैड़ कानि. ने कहा की हम ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के पास पहुंचे जहां पर मैने परिवादी रामकृष्ण को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर दे दिया वो राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के अंदर चला गया मैं बाहर ही गोपनीय रूप से मुकिम हो गया, कुछ देर बाद परिवादी रामकृष्ण गोदारा वापिस आया तो मैने उससे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर बंद कर दिया और उसने बताया की मेरे से 15 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की है जिस पर उसे साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आ गया, इस पर सुपुर्दशुदा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो उसमें परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। 02.30 पीएम पर डिजिटल वार्यस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से जोड़कर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू किया गया। 03.15 पीएम पर डिजिटल वार्यस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से जोड़कर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई व रिकॉर्ड वार्ता को दो खाली डी.वी.डी. में डाउनलोड़ करवाकर एक डी.वी.डी. को रूबरू गवाहन एक कपड़े की थैली में डालकर सील चिट किया गया व एक डी.वी.डी. को खुला रखा गया। समय 03.30 पीएम पर परिवादी रामकृष्ण गोदारा ने बताया की आरोपी मनजीत द्वारा मुझे पन्द्रह दिन का टाईम दिया है, इसलिए मै पांच–सात दिन में रिश्वत में दी जाने वाली राशि पन्द्रह हजार रूपये की व्यवस्था कर आपके कार्यालय में आ जांउगा, इस पर परिवादी का आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 14.09.2022 को श्री सुभाषचन्द्र पुलिस निरीक्षक से उक्त कार्यवाही के गोपनीय दस्तावेज श्री भूपेन्द्र कुमार उपअधीक्षक पुलिस को चार्ज में प्राप्त हुए। दिनांक 10.10.2022 को मन् रविन्द्र सिह उप अधीक्षक पुलिस को एसीबी चौकी हनुमानगढ़ का सम्पूर्ण चार्ज श्री भूपेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस से प्राप्त हुआ, चार्ज में परिवादी श्री रामकृष्ण गोदारा पुत्र बिरजुराम गोदारा निवासी वार्ड नं. 08 सरदारशहर जिला चुरू का प्रार्थना पत्र व उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही कर अब तक तैयार किये गये कागजात रनिंग नोट, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन, वार्ता की एक कपड़े की थैली में सील्ड डी.वी.डी. व एक खुली डी.वी.डी. प्राप्त हुई, परिवादी के प्रार्थना पत्र व अब तक की गई कार्यवाही का रनिंग नोट व फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड वार्ता वक्त रिश्वती मांग सत्यापन का अवलोकन किया गया। दिनांक 02.11.2022 समयः–03.00 पीएम पर श्री रामकृष्ण गोदारा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व एक प्रार्थना पत्र आगे कानूनी कार्यवाही नही करवाने बाबत प्रस्तुत कर बताया कि मेरे द्वारा दिनांक 22.08.2022 को श्री सुभाषचन्द्र पुलिस निरीक्षक को श्री मनजीत ट्रोमा सेंटर इंचार्ज महात्मा गांधी राजकीय चिकिस्तालय हनुमानगढ़ टाउन के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस पर उनके द्वारा आगे की कार्यवाही कर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया था, जिसमें श्री मनजीत ट्रोमा सेंटर इंचार्ज महात्मा गांधी राजकीय चिकिस्तालय हनुमानगढ़ टाउन द्वारा मेरे विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करने की एवज में 15000/–रूपये की रिश्वत की मांग की गई थी, मेरे पास रूपयों की व्यवस्था नहीं होने के कारण समय लग गया, इस दौरान श्री मनजीत द्वारा मेरे से रिश्वत नहीं मांगी, अब मुझे पता चला है कि उनका स्थानान्तरण ट्रोर्मा सेंटर से अन्य जगह हो गया है, और उन्होने वहां जोईन कर लिया है और वो मेरे से रिश्वत नहीं मांग रहा है और ना ही वो अब मेरे से रिश्वत लेंगे, मैं आगे कानूनी कार्यवाही नहीं चाहता हूं मेरे द्वारा पूर्व में दिये गये प्रार्थना पत्र पर आगे की कार्यवाही बंद करने की कृपा करे। परिवादी रामकृष्ण गोदारा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बाद अवलोकन शामिल कागजात किया गया, परिवादी को रूखसत किया गया। दिनांक 08.11.2022 को समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री रामकृष्ण गोदारा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परिवादी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मैने दिनांक 22.08.2022 को आपके कार्यालय में श्री मनजीत ट्रोमा सेन्टर अधिकारी, राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन के खिलाफ मुझसे 15 हजार रूपये रिश्वत मांगने की शिकायत करी जिस पर आपके कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई थी, उसके बाद मैं अपने अन्य कार्य में व्यस्त होने से अग्रिम कार्यवाही पूरी नहीं करवा सका था। उसके बाद मुझे पता चला की श्री मनजीत जी का वहां से ट्रांसफर हो गया है तो मैने दिंनाक 02.11.2022 को आपके कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त कार्यवाही को बंद करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था और अन्य कार्य में व्यस्त हो गया था, इसके बाद दिनांक 08.11.2022 को मेरे मोबाईल नंबर 9549838015 पर श्री मनजीत जी का अपने मोबाईल नंबर 9413713165 से फोन आया और उन्होने अपनी पूर्व मांग अनुसार मुझसे 15 हजार रूपये रिश्वत के मांगे जिस पर मैने उन्हे बताया की मेरी अभी परीक्षा चल रही है जो दिनांक 17.11.2022 को खत्म होगी तो मै आपसे दिनांक 17.11.2022 के बाद ही पैसे देने आउंगा। मैने उन्हे कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए

10 हजार रूपये ही है, इस पर उन्होने कहा की ठीक है, तू दिंनाक 17.11.2022 के बाद 10 हजार रूपये मुझे देने के लिए मेरे पास अस्पताल में आ जाना और फिर उन्होने फोन काट दिया, श्री मनजीत सर द्वारा मुझसे टेलीफोन पर 10 हजार रूपये रिश्वत मांगने के कारण मे आज आपके पास कार्यालय में उपस्थित आया हूं और निवेदन करता हूं कि श्री मनजीत जी द्वारा मुझसे रिश्वत मांगने के पूर्व में दिनांक 22.08.2022 के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुए दिंनाक 17.11.2022 के बाद मेरे द्वारा श्री मनजीत सर को 10 हजार रूपये देने पर उन्हें नियमानुसार ट्रेप कर उनके खिलाफ नियमानुसार कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करें, परिवादी के पूर्व में दिये गये प्रार्थना पत्र पर तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर को जरिये पंत्राक 2202 दिनांक 02.11.2022 के द्वारा प्रेषित की गई है, हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये, निर्देशानुसार परिवादी के प्रार्थना पत्र को शामिल दस्तावेज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई, परिवादी ने बताया है कि आरोपी को रिश्वत राशि दिनांक 17.11.2022 के बाद में दी जानी है इसलिए परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 18.11.2022 समय 09.30 एएम पर परिवादी श्री रामकृष्ण गोदारा ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ में मन् उपअधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया व अवगत करवाया कि मैने कुछ देर पहले श्री मनजीत सर को अपने मोबाईल नंबर 9549838015 से उनके मोबाईल नंबर 9413713165 पर कॉल किया और उनसे मिलने बाबत कहा तो उन्होने मुझसे कहा कि मैं अभी किसी कार्य में व्यस्त हूं तेरे को फोन करके पैसे देने हेतु बुला लुंगा और फोन काट दिया। इस पर परिवादी श्री रामकृष्ण गोदारा को कार्यालय में श्री मनजीत के फोन के इंतजार में बैठाया गया। परिवादी श्री रामकृष्ण ने यह भी अवगत करवया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10000/–रूपये की व्यवस्था कर साथ लाया हूं। समय 03.00 पीएम पर परिवादी श्री रामकृष्ण गोदारा के पास श्री मनजीत का कोई कॉल नहीं आया और परिवादी श्री रामकृष्ण ने अवगत करवाया कि श्री मनजीत सर की अस्पताल में दो बजे तक ही डयूटि रहती है अब आज वो मुझसे फोन नहीं करेगें, इस पर मन् उपअधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री रामकृष्ण गोदारा को बताया कि उसके पास जब भी श्री मनजीत का फोन आये तो वो मेरे से संपर्क करे एंव रिश्वत में दी जाने वाली राशि को अपने पास सुरक्षित रखें। परिवादी श्री रामकृष्ण गोदारा को कार्यालय से हिदायत मुनासिब कर रूखसत किया गया। दिनांक 22.11.2022 को परिवादी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत करवाया कि श्री मनजीत द्वारा मेरे से रिश्वत नहीं मांगी है, अब मुझे पता चला है कि उनका स्थानान्तरण ट्रोर्मा सेंटर से अन्य जगह हो गया है, और उन्होने वहां जोईन कर लिया है और वो मेरे से रिश्वत नहीं मांग रहा है और ना ही वो अब मेरे से रिश्वत लेंगे, मैं आगे कानूनी कार्यवाही नहीं चाहता हूं, इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये।

इस प्रकार परिवादी श्री रामकृष्ण गोदारा पुत्र बिरजुराम गोदारा निवासी वार्ड नं. 08 सरदारशहर जिला चुरू करूणा कॉलेज नंवा में बी.एस.सी. नर्सिंग III वर्ष का छात्र है जो वर्ष 2021 में राजकीय अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन में मेडिकल कार्य सीखने हेतु जाता रहा और जनवरी 2022 में उसने अस्पताल जाना छोड़ दिया था दिनांक 20.08.2022 को परिवादी रामकृष्ण गोदारा अपने दोस्त की बहन का एक्स–रे करवाने राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन गया था, फिर उसने डाक्टर की पर्ची अनुसार एक्स–रे करवाने ट्रोर्मा सेंटर में गया था, तब उसे मनजीत द्वारा बुलाया गया व उस पर आरोप लगाया कि जिस वक्त आप काम सीखने आते थे उस समय यहां से सरकारी सिरंजों के 20 डिब्बे उठाकर ले गये थे और कहा कि आपके विरूद्ध पुलिस में कार्यवाही कराउंगा तथा आपके कॉलेज से लिखित कार्यवाही कराउंगा, फिर उसने के द्वारा परिवादी को धमकाते हुए कहा कि लिखित में लिखकर दो कि यह सिरंजों के डिब्बो को मैं उठाकर ले गया और आगे से ऐसा नही करूंगा यह बात लिखवाकर परिवादी से मनजीत ने अपने पास रख ली। परिवादी द्वारा यह लिखकर देने पर उसने परिवादी को कहा आपको 15 हजार रूपये मुझे देने होगें अन्यथा मै आपके विरूद्ध पुलिस कार्यवाही करवाते हुए कॉलेज को आपके विरूद्ध कार्यवाही के लिए लिखूगा, जिस पर परिवादी द्वारा ब्यूरो में शिकायत की गई, शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो दौराने रिश्वत मांग सत्यापन जब परिवादी द्वारा कहा गया कि" मेरी लिखड़ी दे देसो के पाछी" तब आरोपी द्वारा कहा गया कि " ना लिखत आली कोनी मिले" "मिस यूज कोनी करू तेरो, आ गांरटी दे सकू" परिवादी द्वारा जब कहा गया कि " कोई थोड़ा मोटा कम" तो आरोपी द्वारा कहा गया " अब सारी बात ना कर, तनै बता दियो है बिता ही लागैगा" परिवादी द्वारा कहा गया "किता" आरोपी द्वारा कहा गया " पन्द्रह हजार रूपये" आदि रिश्वत मांगने के तथ्य रिकॉर्ड पाये गये, फिर परिवादी द्वारा रूपयों की व्यवस्था नहीं हो सकी, परिवादी श्री रामकृष्ण गोदारा द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर कहा की आरोपी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया, अब वह उससे रिश्वत की मांग नहीं कर रहा है और आगे कार्यवाही नहीं करने बाबत निवेदन किया, इस कारण ट्रेप कार्यवाही नही हो सकी, श्री मनजीत ट्रोमा सेंटर इंचार्ज महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में अपने

पद का दुरूप्योग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण करना एंव परिवादी से लिखवाये गये कागज का मिस यूज नहीं कर कानूनी कार्यवाही नहीं करने की एवज में रिश्वत की मांग करना पाया गया। आरोपी श्री मनजीत कुमार पुत्र श्री बिहारीलाल उम्र–48 वर्ष निवासी वॉर्ड नंबर 6, नजदीक पुष्पा बर्फ फैक्ट्री, गोशाला के सामने, तारानगर, चूरू हाल निवासी वार्ड नंबर 28, स्वामी कॉलोनी, फतेहगढ़ रोड़ हनुमानगढ़ टाउन तत्कालीन ट्रोमा सेंटर इंचार्ज महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन हाल सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौरंगदेसर जिला हनुमानगढ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रथमदृष्टया अपराध घटित होना पाया गया है। अतः आरोपित श्री मनजीत कुमार पुत्र श्री बिहारीलाल उम्र–48 वर्ष निवासी वॉर्ड नंबर 6, नजदीक पुष्पा बर्फ फैक्ट्री, गोशाला के सामने, तारानगर, चूरू हाल निवासी वार्ड नंबर 28, स्वामी कॉलोनी, फतेहगढ़ रोड़ हनुमानगढ़ टाउन तत्कालीन ट्रोमा सेंटर इंचार्ज महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन हाल सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौरंगदेसर जिला हनुमानगढ के विरूद्ध वर्णित उक्त धारा में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

(रविन्द्र सिह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मनजीत कुमार, हाल सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौरंगदेसर, जिला हनुमानगढ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 501/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.12.22
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 4220-23 दिनांक 28.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,श्रीगंगानगर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़।

28.12.22
पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।